

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

30प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवर्वा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/वाटर/150368/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-186/81-2-2022-800(203)/2022 दिनांक 07 जुलाई 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 07-07-2022 11:15:28

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

राज्य सरकार, लखनऊ।